उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1983 ई0)

THE UTTAR PRADESH KESARI GRAM (PROHIBITION) ACT, 1983

(U.P. Act No. 22 of 1983)

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 1983 ई०]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 सितम्बर, 1983 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 9 सितम्बर, 1983 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने 20 सितम्बर, 1983 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 23 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित हुआ ।]

केसारी की खेती और विक्रय का प्रतिषेध करने और उसके उत्पादों के निर्माण या विक्रय का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

*(3) यह 25 अक्टूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

केसारी की खेती और उसके उत्पादन आदि का प्रतिषेध

2–कोई व्यक्ति ––

(क) केसारी (लैथाइरस सेटाइबस) की खेती नहीं करेगा ;

(ख) केसारी या उसके किसी उत्पाद को नहीं बेचेगा, न बेचने के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित करेगा, न किसी नाम से विक्रय के प्रयोजनार्थ या विक्रय से कोई माल तैयार करने के लिए उपादान के रूप में उपयोगार्थ अपने कब्जे में रखेगा ;

(ग) केसारी से केसारी दाल या कोई अन्य उत्पाद तैयार नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ केसारी का आटा या केसारी की दाल का आटा, या चना (साइसर एरीटिनस) या चने की दाल या बेसन के साथ या किसी अन्य दाल या किसी अन्य आटे के साथ केसारी या केसारी दाल या इन दोनों में से किसी के आटे का मिश्रण केसारी का उत्पाद समझा जायगा ।

शास्ति

3–कोई व्यक्ति जो धारा 2 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम न होगी, किन्तु छः वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी जो दो हजार रूपये से कम न होगा, दण्डनीय होगा ।

---

1. उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के लिये इस अधिनियम के अन्त में देखें।

* दिनांक 25 अक्टूबर, 1982 से प्रवृत्त।

अधिनियम संख्या 37 सन् 1954 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

4–खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, ––

(क) इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित पदार्थो के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित खाद्य पर लागू होते है,

(ख) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में लागू होते है ।

निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1983

5–(1) उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

———

उद्देश्य और कारण

वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि केसारी (लेथाइरस सटाइवस) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके अधिक उपयोग से गम्भीर रोग जैसे शरीर के निचले अंगों को लकवा हो जाने की सम्भावना है । अतएव् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थ के रूप में केसारी दाल या उसके उत्पाद की बिक्री का प्रतिषेध किया था फिर भी पशुओं के आहार के रूप में केसारी और केसारी दाल की बिक्री होती रही और जहां उसकी इस प्रकार बिक्री होती थी, वहां खाद्य पदार्थ के रूप में या उसके साथ अपमिश्रण करके उसके वास्तविक उपयोग की रोकना कठिन था। अतएव् किसी भी प्रयोजन के लिए केसारी की खेती और केसारी और उसके उत्पाद की बिक्री का प्रतिषेध करना और ऐसी खेती या बिक्री को दण्डनीय अपराध बनाना आवश्यक समझा गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव् राज्यपाल ने 27 सितम्बर, 1982 की उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1982) प्रख्यापित किया । उक्त अध्यादेश का प्रवर्तन समाप्त होने के पूर्व राज्यपाल ने 15 मार्च, 1983 को उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1983 द्वारा पुनः प्रख्यापित किया ।

यह विधेयक उपर्युक्त उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1983 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।